नि0 2078-II/16

121

श्री रा0अ0 के0 त्रिपाठी अधि0
द्वारा आज दि. 28/6/16 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राम नारायण मिश्रा तनय श्री शिव शंकर मिश्रा उम्र 75 वर्ष निवासी ग्राम बामनगढ़ पो0 आ0 खोढ़मानी तहसील हनुमना जिला रीवा (म0 प्र0)

--- आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

01. ओंकार प्रसाद,
02. उमेश कुमार,
03. अजय कुमार तीनो के पिता श्री अमृत लाल निवासी ग्राम देवरा तहसील हनुमना जिला रीवा (म0 प्र0)।
04. विद्यावती पत्नी बाल मुकुन्द (मृतक निर्वसीयती),
05. बालमुकुन्द तनय राम भुवन (मृतक) दोनो निवासी ग्राम सेमरिहा तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0 प्र0)।
06. शासन मध्य प्रदेश द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा जिला रीवा (म0 प्र0)।

--- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा (म0 प्र0) प्रकरण क्रमांक 29ए.6/14-15 आदेश दिनांक 16.06.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 ई0।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2078–दो/2015 जिला रीवा

रामनारायण विरूद्ध ओंकार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23–8–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को। पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक ने मुख्य रूप से यही तर्क किया कि कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में मृतक विद्वावती से आवेदक ने अनुबंध किया था तथा अनुबंधपत्र निष्पादन दिनांक को 550000/– अदा किये थे। विकय पत्र संपादित होने के पूर्व ही अनावेदिका की विद्यावती की मृत्यु हो गयी इसके पश्चात विद्यावती के पति अनावेदक कमांक 5 बालमुकुन्द को शेष राशि 250000/– भुगतान किया। इसी बीच अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 ने फर्जी वसीयत के आधार नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अनावेदकों नामांतरण हो गया। आवेदक द्वारा उक्त आदेश को दिनांक 23.9.14 के विरूद्ध पुर्नविलोकन का आवेदन पेश किया जो तहसीलदार ने 20–11–14 को स्वीकार किया जाकर पूर्ववत भूमियां मृत अनावेदक कमांक 4 के नाम कर दी। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया। चूंकि पुनर्विलोकन आदेश में आवेदक पक्षकार था इसलिए वह हितबद्ध पक्षकार था तथा उसे अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में बनाया जाना चाहिए था, परन्तु अनावेदकगण द्वारा उसे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष बना पक्षकार बनाये अपील पेश की गई। जब अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदक द्वारा पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पेश किया तो अनुविभागी अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 16–6–16 के द्वारा निरस्त करने में त्रुटि की है। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत	

की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि आवेदक द्वारा अनुबंध पत्र के आधार पर तहसीलदार के समक्ष पुर्नविलोकन का आवेदन पेश किया गया था। पुनर्विलोकन आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गई है जिसमें आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया है। आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन पेश करने में अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन पर विवरणात्मक आदेश पारित न कर मात्र यह लेख करते हुये कि आवेदन अमान्य किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी को विवरणात्मक आदेश पारित करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। अतः अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 16–6–16 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है। पुनः आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. का आवेदन पर सुनवाई कर विवरणात्मक एवं व्याख्मक आदेश पारित करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य